



दिनांक:- 29.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मात्र 03 घण्टे में मन्दबुद्धि युवती से दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 28.08.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पुत्र नामालूम निवासी ग्राम बलाचौर थाना छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा व एक व्यक्ति नाम अज्ञात निवासी उपरोक्त द्वारा वादी की बहन से दुष्कर्म करने की सूचना के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 250/24 धारा 332/70(1) बीएनएस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में दिनांक 28.08.2024 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण 1. सुरेन्द्र पुत्र नेकूराम निवासी ग्राम बलाचौर थाना छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा व 2. जनरेल सिंह पुत्र पूरन चंद निवासी ग्राम बलाचौर थाना छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सुरेन्द्र पुत्र नेकूराम निवासी ग्राम बलाचौर थाना छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा
2. जनरेल सिंह पुत्र पूरन चंद निवासी ग्राम बलाचौर थाना छछरौली जिला यमुनानगर हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 सुश्री कंचन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. हैका0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. का0 1967 अनुज चौधरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. का0 2475 देवेन्द्र शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 29.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 01 बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 31.07.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ के साथ छेड़छाड़ करने, गन्दे इशारे करने व दुष्कर्म करने की नियत घर में घुसकर गोली मारने की धमकी देने की सूचना के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 427/024 धारा 74/75/76/79/333/351(3)बीएनएस व 7/8 पोस्को एक्ट के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक वांछित **बाल अपचारी** को हिरासत में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र गिरि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. है0का0 13 मौहम्मद इखलाक थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. का0 184 राजन थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
4. म0है0का0 48 ममता तोमर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 29.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त कल्लू पुत्र गफूर निवासी ग्राम तिडफवा थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या— 1361/2022 मु0अ0सं0—173/15 धारा— 354ए भादवि व 3(1) ॥ एससी एसटी एक्ट व 8 पोक्सो अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर में ग्राम तिडफवा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कल्लू पुत्र गफूर निवासी ग्राम तिडफवा थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

- उ0नि0 श्री पीयूष कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
- का0 461 सोनू तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर
- का0 2463 गौतम सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर



दिनांक:29-08-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त मौ० कुर्बान पुत्र शकील निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर को ग्राम संगमौर-गुमटी मार्ग पर सरकारी ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०स०--208/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट बनाम मौ० कुर्बान के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। मैं ग्राम पैरागपुर, चिलकाना सहारनपुर से नशीला सामान खरीद कर ले आता हूँ और अपने आस पास के जो लोग नशा करते हैं उनको अधिक पैसों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है ।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता:-

मौ० कुर्बान पुत्र शकील निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कुर्बान:-

- मु०अ०सं०—185/2019 धारा—60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना ।
- मु०अ०सं०—079/2024 धारा—60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना ।
- मु०अ०सं०—208/2028 धारा—8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना ।

बरामदगी का विवरण:-

12 ग्राम स्मैक नाजायाज ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री करन सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. है०का० 1052 कुलदीप सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर ।
3. का० 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर ।
4. म०का० 1452 कोमल थाना चिलकाना सहारनपुर ।



दिनांक: 29.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्करी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 45 पच्चा देशी शराब तोहफा मार्का व 36 फ्रूटी देशी शराब महबुबा मार्का बरामदा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शराब एवं इसकी तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 29.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र इन्द्रपाल निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को मानकमऊ पुलिस के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 45 पच्चा देशी शराब तोहफा मार्का व 36 फ्रूटी देशी शराब महबुबा मार्का बरामद हुयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त अनिल कुमार उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 250/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त अनिल कुमार उपरोक्त ने बताया कि मैं सस्ते दामों में शराब खरीद लेता हूँ तथा आस पास व राह चलते लोगो एवं ठेका बन्द होने के बाद अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनिल कुमार पुत्र इन्द्रपाल निवासी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

45 पच्चा देशी शराब तोहफा मार्का व 36 फ्रूटी देशी शराब महबुबा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर_थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1808 आशीष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 2033 अजय कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।